भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-*378
सोमवार, 22 मार्च, 2021/1 चैत्र, 1943 (शक)

उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर

***378. श्री आर.के. सिंह पटेलः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बांदा तथा चित्रकूट जिलों सहित विशेषकर राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत रोजगार के अवसर सृजित किये जा रहे हैं;
(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है और लाभान्वित हुए लोगों की संख्या कितनी है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।
**

"उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर" के संबंध में श्री आर.के. सिंह पटेल, सांसद द्वारा पूछे गए लोक सभा के दिनांक 22-03-2021 के तारांकित प्रश्न संख्या *378 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश में रोजगार का सृजन करने के लिए पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जोकि क्रमशः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही हैं, जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। विगत तीन वर्षों अर्थात् 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (28.02.2021 तक) पीएमईजीपी के तहत उत्तर प्रदेश में सृजित रोजगार की संख्या 1,49,952 है; विगत तीन वर्षों अर्थात् 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (19.03.2021 तक) उत्तर प्रदेश में एमजीएनआरईजीएस के तहत प्रदान किए गए मानवदिवसों की रोजगार संख्या 84.09 करोड़ है; विगत तीन वर्षों (2017-18 से 2019-20) के दौरान डीएवाई-एनयूएलएम के तहत उत्तर प्रदेश में नियोजित कौशल प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या 10147 है तथा विगत तीन वर्षों अर्थात् 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (फरवरी, 2021 तक) के दौरान उत्तर प्रदेश में डीडीयू-जीकेवाई के तहत नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या 15,739 है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

देश में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने अनकों पहलें की हैं। सरकार रोजगार मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों संबंधी सूचना आदि जैसी रोजगार संबंधी विविध सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है। एनसीएस परियोजना के तहत रोजगार मेलों के आयोजन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, बुंदेलखंड क्षेत्र सहित राज्य में आयोजित किए गए रोजगार मेलों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

वर्ष	रोजगार मेलों की संख्या		चयनित अभ्यर्थियों की संख्या	
	उत्तर प्रदेश में	बुंदेलखंड में	उत्तर प्रदेश में	बुंदेलखंड में
2017-2018	633	65	63152	3690
2018-2019	685	70	103202	7377
2019-2020	733	72	143304	10372
2020-2021 (4वां मार्च 2021 तक)	761	74	117917	6575

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ-साथ नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कार्यान्वित की जा रही यह योजना विभिन्न क्षेत्रों/उद्योगों के नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की कर्मचारी संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान वहन कर रही है। 9 मार्च, 2021 को लाभ लेने के लिए 16.49 कर्मचारियों को पंजीकृत किया गया था।

*****